



i kQskuy , Xt kfeusk u ckM

पी.ई.बी. चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–02550498 ई-मेल : vyapam@mp.nic.in
वेबसाइट www.vyapam.nic.in तथा www.peb.mp.gov.in

बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. / बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा-2017

vWylbz vlosu&i=	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 17.04.2017	भरने की अंतिम तिथि : 01.05.2017
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में सशोधन की प्रारम्भ तिथि (एम.पी. ऑनलाईन क्योरेक्ट पर) तथा आवेदन—पत्र भरने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन की प्रारम्भ तिथि (उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत / निर्धारित शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर)	17.04.2017
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में सशोधन की अंतिम तिथि (एम.पी. ऑनलाईन क्योरेक्ट पर) तथा आवेदन—पत्र भरने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि (उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत / निर्धारित शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर)	06.05.2017
परीक्षा दिनांक व दिन रविवार	28.05.2017
ijhkk 'kpd	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	: - 500@&
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	: - 250@&
ऑनलाईन आवेदन — पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क : - 70@& देय होगा। कियोरेक्ट के माध्यम से न भरने पर 40/-	

vWylbz ijhkk i) fr l e; l kj . kh

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. / बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा-2017				
28.05.2017 रविवार	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 9:00 से 11:00 तक (2:00 घंटे)

IVi . kh %

- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनिट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है ।
- vWylbz vlosu&i= Øekd ds }kj fyf[kr ijhkk grq vH FkZvi uk i zsk&i= iMr dj l drs gA vr% vlosu&i= Øekd vlo'; d : i l s l kky dj j [k ft l dh l eLr@ft Eeslkjh vlosu&i= dh gh gkshA
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बॉलप्वाइंट पेन (उपस्थिति पत्र के उपरांत दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिये उपयोग होना अनिवार्य है) तथा परीक्षा हाल में प्रवेश के लिये उपयोग होना अनिवार्य है ।
- पी.ई.बी. द्वारा आयाजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी ernkrk igplu i=j i udkM vkkj dkM M; foax yk l d l val ph e; QkVksQ] rFk i k Zesl sdkZ, d dks p; fur dj l drk gA bZvkkj ek; ugla gA
- मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में समिलित होने से वंचित किया जाएगा ।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे ।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
 फोन नं.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
 E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in,
 www.peb.mp.gov.in

बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड./बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा-2017

fo"k &l ph

1 - Øa	fooj.k	i "B Ø-
1.	v/; k &1 & उच्च शिक्षा विभाग की नियमावली, तथा आरक्षण तालिका	4 & 10
2.	v/; k &2 – प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की परीक्षा संचालन नियमावली	11 & 24
3.	v/; k &3 – प्रमाण पत्रों का प्रारूप	25 &40
4.	i k i&13 – प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	41
5.	i k lk&14 & आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	42
6.	i k lk&15 & ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	43
7.	v/; k &4 ijlk dk i kB; Øe , oai fijf' kV	44 & 51



राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुपूरक मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2017–18

संबंधित एकीकृत पाठ्यक्रम : बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. / बी.एल.एड.

प्रवेश प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी
सिद्धान्त

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. / बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में

सत्र 2017–18के प्रवेश हेतु अनुपूरक मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. प्रस्तावना

ये अनुपूरक मार्गदर्शी सिद्धान्त विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों की मार्गदर्शिका, 2017–18 में वर्णित सुसंगत प्रावधानों को यथावत् रखते हुए चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. / बी.एल.एड. के संबंध में पृथक रूप से जारी किए जा रहे हैं। इन चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों से संबंधित जिन प्रावधानों का वर्णन इस अनुपूरक मार्गदर्शिका में नहीं है, उनके संबंध में मूल मार्गदर्शिका के प्रावधान मान्य होंगे एवं तदनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

- 2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम शुल्क :** आवेदकों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के रेग्युलेशन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्ते पूर्ण करना आवश्यक हैं :—

2.1 शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित कार्य दिवस :

पाठ्यक्रम →	बी.ए.बी.एड.	बी.एससी. बी.एड.	बी.एल.एड.
शैक्षणिक योग्यता / पात्रता	उच्चतर माध्यमिक / +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।	उच्चतर माध्यमिक / +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
निर्धारित कार्य दिवस	न्यूनतम 250 दिवस	न्यूनतम 250 दिवस	न्यूनतम 200 दिवस

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

- 2.2 प्रवेश प्रक्रिया** :— प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग में व्यक्त महाविद्यालयों की वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड./बी.एल.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रमों में स्थान आवंटित किये जावेंगे।
- 2.3 शुल्क** :— आवंटित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रथम वर्ष का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट से प्रवेश के समय आवेदकों द्वारा चिन्हित शासकीय हैल्प सेंटर पर देय होगा। आगामी वर्षों में शेष निर्धारित शुल्क सीधे प्रवेशित महाविद्यालय को देय होगा।
- 2.4 प्रावधिक आवेदकों हेतु प्रक्रिया** :—

अर्हताकारी परीक्षा में सम्मिलित ऐसे विद्यार्थी जिनकी अर्हताकारी परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, वे प्रावधिक आवेदक के रूप में पंजीयन तथा हैल्प सेंटर पर दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रक्रिया में प्रावधिक रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। इस हेतु मूल मार्गदर्शिका में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही एवं प्रक्रिया सम्पन्न करनी होगी।

3. सीटों का वर्गीकरण एवं आरक्षण :

मूल मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य राज्यों के लिए सीटों का वर्गीकरण किया जाएगा। इन वर्गों के अंदर आरक्षण के प्रावधानों को भी तदनुसार लागू किया जाएगा।

4. प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त रूपरेखा :

प्रवेश प्रक्रिया मूल मार्गदर्शिका के अनुसार ही होगी परन्तु तिथियों में भिन्नता होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा एवं आवेदकों को पंजीयन पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित हैल्प सेंटर पर कराने के उपरांत प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी पीईबी की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। इन चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों बी०ए०बी०एड०/बी०एससी०बी०एड०/बी०एलएड० की प्रवेश-परीक्षा एवं दस्तावेजों के सत्यापन के लिए निर्धारित तिथियां निम्नानुसार हैं :—

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1	विज्ञापन का प्रकाशन	अप्रैल 2017
2	आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन	17 अप्रैल से 01 मई 2017 आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 06.05.2017
3	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन (परिशिष्ट – 2 अनुसार निधारित हेल्प सेंटर पर)	17 अप्रैल से 06 मई 2017
4	प्रवेश परीक्षा (दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे)	28 मई 2017 (प्रस्तावित)
5	परीक्षा परिणाम की घोषणा	संभावित तिथि 23 जून, 2017

ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण—पत्रों के अनुसार दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि, स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार एवं मूल निवास का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई परेशानी न हो। ऑनलाईन आवेदन ठीक प्रकार भरा जाना आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। ऑनलाईन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन के निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

4.1 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत कराने के पश्चात् आवेदकों को प्रदेश के चयनित शासकीय हेल्प सेंटर महाविद्यालयों पर जाकर अपने समस्त दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाईन सत्यापन कराना अनिवार्य है। दस्तावेजों के ऑनलाईन सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं उनके आवेदन प्रवेश हेतु मान्य नहीं होंगे तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। इसके लिये आवेदक को ऑनलाईन पंजीयन के पश्चात् प्राप्त अभिस्वीकृति पत्र (Acknowledgement

Slip) के साथ सहायता केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर समस्त मूल दस्तावेजों को अभिप्रामाणीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा। दर्ज जानकारियों का मूल प्रमाण पत्रों से अभिप्रामाणीकरण हेल्प सेंटर के अधिकारियों द्वारा किया जावेगा तथा सत्यापन करने के बाद हेल्प सेंटर के अधिकारी Online Verification Slip प्रदान करेंगे एवं प्रमाण स्वरूप इस पर अपने हस्ताक्षर के साथ हेल्प सेंटर की सील भी लगायेंगे। इस Online Verification Slip पर मुद्रित घोषणा पत्र पर आवेदक को भी हस्ताक्षर करना होगा।

- आवेदकों के दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापित हुए हैं, अथवा नहीं, इसके लिए आवेदक अपने पंजीयन क्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर, पोर्टल पर स्वयं जांच कर सकेंगे।
- अन्य राज्यों के आवेदकों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन मध्यप्रदेश राज्य के नजदीकी अग्रणी शासकीय महाविद्यालयों (हेल्प सेंटर) में स्वयं उपस्थित होकर कराना होगा।
- ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन करवा चुके आवेदकों को ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय समस्त आवेदकों से वचन—पत्र भी अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदकों को निम्न दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा –
 1. जन्म तिथि प्रमाण—पत्र
 2. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची
 3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी—परत छोड़कर) एवं सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा विधवा अथवा परित्यक्ता संबंधी संवर्ग में आरक्षण हेतु मान्य प्रमाण—पत्र
 4. म0प्र0 स्थानीय निवासी हेतु स्व—प्रमाणित घोषणा—पत्र
 5. नवीनतम आय प्रमाण—पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी—परत छोड़कर) के आवेदकों के लिये स्व—प्रमाणित घोषणा—पत्र
 6. फोटो पहचान पत्र — आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट, पेन कार्ड, फोटो युक्त अंकसूची में से कोई एक अथवा अन्य कोई जो तत्समय निर्दिष्ट

किया जावें। (उक्त फोटो पहचान पत्र आवेदक को प्रवेश परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।

7. प्रावधिक प्रवेश हेतु आवेदकों को कक्षा 12वीं की परीक्षा का प्रवेश—पत्र (परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रमाण स्वरूप) सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा एवं स्वघोषणा—पत्र भी निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. प्रवेश परीक्षा के लिए अंकों का निर्धारण एवं पाठ्यक्रम (केवल सत्यापित आवेदकों के लिये) :

प्रवेश परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म0प्र0 द्वारा आयोजित की जावेगी।

- 5.1 चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम बी0ए0बी0एड0 / बी0एससी0बी0एड0 / बी0एलएड0 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा : प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा – (परिशिष्ट – 1 अनुसार)

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	सामान्य चेतना (General Awareness)	40	40 अंक
2.	सामान्य मानसिक योग्यता एवं शैक्षणिक अभिरुचि (General Mental Ability &Teaching Aptitude)	30	30 अंक
3.	भाषा दक्षता (Language Proficiency) (हिन्दी + अंग्रेजी)	30 (15 + 15)	30 अंक
	कुल	100	100 अंक

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा समस्त आवेदकों की तथा मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों एवं बाह्य राज्यों के आवेदकों की पृथक—पृथक मेरिट सूची घोषित की जावेगी।

6. ऑनलाइन काउन्सिलिंग :

प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची के प्रकाशन के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया से सीटों का आवंटन मेरिट क्रमांक एवं आवेदकों द्वारा चुनी गई महाविद्यालयों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। एम0पी0 ऑनलाइन के पोर्टल पर आवेदकों के ऑनलाइन प्रवेश हेतु पंजीयन, वरीयता, आवंटन एवं प्रवेश की महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार होगी :—

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1.	मेरिट सूची अनुसार सफल आवेदकों द्वारा महाविद्यालयों में सीट आवंटन हेतु पंजीयन/महाविद्यालयों की वरीयताओं का चयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान।	01 जुलाई, 2017 से 10 जुलाई, 2017
2.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन	17 जुलाई, 2017
3.	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान एवं टी.सी. / माइग्रेशन प्रस्तुत करना	17 जुलाई से 24 जुलाई, 2017 तक
4.	प्रथम चरण पश्चात् महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की उपलब्धता	25 जुलाई, 2017
5.	(i) द्वितीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित आवेदकों से महाविद्यालयों की पुनःवरीयता प्राप्त करना (ii) नवीन पंजीयन (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर शेष चरणों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे।)	26 जुलाई से 29 जुलाई, 2017 तक
6.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन	02 अगस्त, 2017
7.	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान एवं टी.सी. / माइग्रेशन प्रस्तुत करना	02 अगस्त से 05 अगस्त, 2017 तक
8.	द्वितीय चरण पश्चात् महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की उपलब्धता	08 अगस्त, 2017
9.	(i) तृतीय चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित आवेदकों से	09 अगस्त से 11 अगस्त, 2017

	महाविद्यालयों की पुनःवरीयता प्राप्त करना (ii) नवीन पंजीयन (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर इस चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे।)	
10.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार तृतीय चरण में सीट आवंटन	14 अगस्त, 2017
11.	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	16 अगस्त 11.30 बजे से 18 अगस्त, 2017 सायं 5.30 बजे तक

नोट: काउंसलिंग एवं सीट आवंटन की समस्त प्रक्रिया मूल मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही होगी।

7. सीट आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया :

सीट आवंटन, प्रवेश के निरस्तीकरण, शुल्क वापसी एवं अन्य प्रक्रियाओं संबंधी मूल मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधान इन पाठ्यक्रमों के लिए भी लागू होंगे।

अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

i kQskuy , Xt kfeusk ckM Hky i jhkk l pkyu dsfu; e , oafunZk
[k M&V]

- 2-1** (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। vH fKz 'kSk. kd vgZkvadk HkyHWW v/; ; u mijklr gh vlosu i = HjA
- (ii) आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को एक ही आवेदन पत्र भरना होगा, तथा आवेदन पत्र में पाठ्यक्रमों का विकल्प स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
- 2-2** (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित सीट के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।
- (vi) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें उच्च शिक्षा विभाग की नियमावली अध्याय –1 की कण्डिका 2.1 एवं 2.4 के अनुसार मान्य होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी के सत्यापन के संबंध में नियम पुस्तिका में उल्लेखित तिथियों में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (परिशिष्ट 5, 6 एवं 7 में उल्लेखित शासकीय महाविद्यालय) से मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/मप्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति को निरस्त किया जा सकेगा।

2-3 i jhkk gky eays t kus grqvlo'; d l kexh %

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। bZvkWj ekU ughagA

2-4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2-5 fyf[kr i jhkk eafu%kDrt u vH ffkZ kadsfy, mi y0k l fo/k, i %

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :–

(i) ; g l fo/kk fuEufyf[kr vH fflZ k dks i nku dh t koskh %

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण—पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(ii) y{ku fyfid ¼ gk d½dh l fo/kk %

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न—पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।
3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

(iii) vfrfjDr l e; grq'kr%&

1. यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय चाहता है तो परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

ukW & fcIhq Ø- 2-5 dh dMdk & (i) ea mYyf[kr fu; e dks i wZ djus okys vH fflZ ; fn y{ku fyfid ¼ gk d½; k vfrfjDr l e; plgrs gk rk gh i hbZh dk k; dks mijkDr l e; kof/k eavklosu dj l drs gA

2-6 i zsk i = i Hr djus dh i Ø; k %

ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश—पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

ukW& i zsk i = t kjh gk us ds mijk r fdl h rjg dk =fV l qkj ughaf fd; k t k sk , oa fdl h Hh i dkj dh =fV nfVxkj p j gk us i j i hbZch vWylbz vlosu&i = dks jna@fujLr@ i fj ofrZ djus dk vf/lkj l jf{kr j [krk gA

2.7 ijhkk i vsk&i = (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन—पत्रों के प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, ck s gkfk ds vksB dk fu'ku तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईंट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.9 v- = ViwZizu] ml dk fujLrhdj.k , oacnys eafn; k x; k vd %

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न—पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न—भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न—पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

mnkgj.k 01 :— यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

mnkgj.k 02 :— यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

mnkgj.k 03 :— यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

u& % 1 Hx.kuk dks n'keyo ds nk vdkard dh t k sh A
 (आदेश क्र. पी.ई.बी./5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार हैः—

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_t - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_t^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_t is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिये पी.ई.बी. की वेबसाईट देखें)

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 13–14 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यूएफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है :-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यूएफ.एम. (UFM) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा/Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घंडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता प्रकट होती है
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफ.एम. प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/ परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी के विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।
2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यूएफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.12 ijlk lk i fj. lk dk izdk ku %

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे ।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी ।

- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएँगी ।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएँगी ।

2-13 ijhkk ifj. ke %

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा ।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा ।

2-14 i kQskuy , Xtkfeusku ckM Hki ky dk dk Z fyf[kr ijhkkvkd l pkyu , oa ml dk i fj. ke ?kfk'kr djuk ek= gkxk %

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा ।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा ।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे ।

2-15 U kf; d {k-kf/kdkj % परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

2-16 vWylbz vlosu&i = ds l ffk l yXu fd; s t kus okys nLrk& kdk fooj .k %

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (ii) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र i k i &15 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2-17 vWylbz vlosu i = ds l ffk QkVks , oagLrk&j l yXu djus l aah funzlk %

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र i k i &15 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मांपदड़ के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ vlosu Hjus dh frffk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QkVks&Q ij f lkokus dh fnukd o vlosu& ds uke dk Li "V mYys&k gkuk plfg; A यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/कलीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियों सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2-18 , e-i h vWylbz fd; Kd ds ek; e l s vlosu QleZHjus dh fof/k %

- (i) एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा।
- (ii) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन—पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।

- (iii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iv) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकेगा।

vkluykbZi vlosnu Hjus ds l ak esfunZk %

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) **vlosnd dks vlosnu i= ea 'kjhj ds LFkk h fpUg rFkk ijhkk ds l e; iLrq fd; s t kus okys QkVks i gplu i= dk fooj.k rFkk Øekd vfuok Z: i l s vldr fd; k t kik gkxkA buds vHk eavlosnu i= Lohdkj ugh gkxkA**
- (iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) **vkluykbZi vlosnu i= eavlosnd dk vi uk vk/kj dkmØekd vfuok Z%vldr fd; s t kus dk i klo/ku j [kk gSA bl ds mi ; kx l s**
 1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना।
 2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाइन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके।
 3. जिन अभ्यर्थियों का आधार नामांकन में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर परिवर्तित होगा उन अभ्यर्थियों को मात्र आधार नम्बर प्रविष्ट करना पार्याप्त होगा, किन्तु वे e-KYC का लाभ नहीं ले सकेंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी।
 4. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था। इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा।

5. जिन अभ्यर्थियों के पास आधार नम्बर नहीं है उनका Biometric Data/Thumb impression रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पृथक से Capture किया जायेगा तथा इस डाटा को पी.ई.बी. के सर्वर में नियमानुसार सुरक्षित रखा जायेगा ।
6. यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन डेस्क पर Biometric सत्यापन पर कोई त्रुटि आ रही है तो अभ्यर्थी का पर्याप्त परीक्षण किया जाकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ।
7. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2-20 vWylbzI vlounu&i = Hjus dh Q oLFk %&

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी.आनलाईन की **ocl kbW** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है ।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा / मास्टर / मास्टरो) कार्ड / क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा / मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है ।
- (iii) सीधी भर्ती—बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा ।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके ।

2-21 vWylbzI vlounu&i = Hjus grqnlk fodYi g%&

1½b½jusV dQs }kj k ½; kLd½

½Lo; ads dH; Wj }kj k

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application विलक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **funZk@Instructions** तथा परीक्षा **fu; e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे ।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को विलक करें ।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही—सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन—पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा ।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें ।

- (v) ऑनलाईन आवेदन—पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन—पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन—पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन—पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :—

1. ½ Of MV@McV dkMZ

2. ½ bVjuV c\$dk

2-22 **OfMV@McV dkMZds ek; e l s i j h lk ' Wd dk Hxrklu %**

- (i) आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराइज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-23 **bVjuV c\$dk ds ek; e l s i j h lk ' Wd dk Hxrklu %**

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराइज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

- 2-24** आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **[Unpaid Application]** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन—पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन—पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2-25 **fu/kZjr frffk eat ek fd, x, vWkybz vlosu i= eal alksku dh Q oLFkk**

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:—
- (ii) ऑनलाईन आवेदन—पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन—पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2-26 , d l s vf/kd vWylbz vlosnu&i = Hj us l call funZk %

- (i) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन—पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं? यदि आवेदक द्वारा “हॉ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन—पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन—पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हॉ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई—मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन—पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन—पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2-27 vWylbz vlosnu&i = dk fujLrhdj.k %

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी. स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- 2-28 ऑनलाईन आवेदन—पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।
- 2-29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
- 2-30 **i@k.kuk@i@eV; kdu**
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **i@k.kuk@i@eV; kdu** का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।
- 2-31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ़ी नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

[k M&]

2-32 vlo&nu i = Hjus dh l e; kof/k

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
17.04.2017	01.05.2017	15	17.04.2017	06.05.2017	20

2-33 fyf[kr vku ykbz i jh{k dk fooj.k

स.क्रं.	पाली	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	बी.ए.बी.एड. /बी.एससी.बी. एड. /बी.एल. एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा-2017	28.05.2017	रविवार	02 घंटे	प्रातः 9:00 से 11:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस के माध्यम से काला करना होगा।

2-34 (i) ijh{k 'k{d %

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	(म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)		आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क
			अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये	
01-	, d	500/-	250/-	250/-	70/-

(ii) lakkhu fd; stkus ij ns 'k{d

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर	
		शुल्क	पोर्टल शुल्क
01-	, d	20/-	50/-

2-35 ijh{k 'kgj %

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

ऑनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. भोपाल	2. ग्वालियर	3. रायसेन	4. इन्दौर	5. जबलपुर	6. रतलाम
7. मंदसौर	8. कटनी	9. सीधी	10. सागर	11. उज्जैन	12. सतना

2-36

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त / जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित / संशोधित किया जा सकता है।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
- (xiv) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के 30 मिनिट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

प्रमाण पत्रों के प्रारूप
प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम
..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के संविधान अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक
... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम
..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारीपिता/ पति का नाम
..... के नाम निवासी है जो जाति के है, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की
अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की
अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौबन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय समय पर जारी
अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है जो कि सूची के क्रमांक पर अंकित है।

श्री (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश
के जिला संभाग में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री (पिता का नाम) क्रीमीलियर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.2003 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में
तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-28/2009/आ.प्र.-1 दिनांक-2
जुलाई, 2013 की कंडिका क्रमांक 6 के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि
आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा
जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-3(अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो कि
श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) के
पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम का नाम) ..
..... (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने स्थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पर पर सर्विस क्रमांक.....
..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा
के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक

..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/ सेवा
के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

दिनांक.....

हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3(ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीजो कि
श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम)के
पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित(पाठ्यक्रम का नाम) ..
..... (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने स्थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पर पर सर्विस क्रमांक.....
..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के
दौरान उसकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक

..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/ सेवा
के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

दिनांक.....

हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3(स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण—पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित (पाठ्यक्रम का नाम) प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है तथा श्री/श्रीमती/..... आवेदक के पिता/पति/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से (स्थान) तहसील जिला में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय सील

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती (आवेदक के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
- (2) श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (.....) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान

हस्ताक्षर कलेक्टर

दिनांक

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप-5

स्थानीय निवासी हेतु

स्व प्रमाणित घोषणा पत्र

(अस्टाम्पित कागज़ पर)

फोटो

स्व प्रमाणित

मैं आत्मज/पति श्री आयु लगभग वर्ष
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग) वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री –
 1. श्री/कु. आयु (लगभग) वर्ष
 2. श्री/कु. आयु (लगभग) वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है, उनका विवरण अंकित करें)
 1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर मोहल्ला ग्राम
..... तहसील जिला में वर्ष में पैदा हुआ/हुई हूँ।
 2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील
..... जिला में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे।)
 3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम
..... विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवा निवृत्त हुआ हूँ।
 4. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में पद पर कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)
 5. मैं केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर कार्यालय ..
..... तहसील जिला के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बैच) अधिकारी हूँ। पद पर कार्यालय/मंत्रालय
.....मैं पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण—पत्र संलग्न करें)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंआत्मज/पति श्री आयु
वर्ष निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा—पत्र की कंडिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थानमें किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा—पत्र में किया जायें)

प्रारूप—6
आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
(सादे कागज़ पर)

मैं आत्मज श्री आयु वर्ष

शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम में हेकटेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये शब्दों में की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये शब्दों में है।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये शब्दों में है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं –
 1. 2. 3. 4. 5.

(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है।)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये शब्दों में है।
7. मैंने इस शपथ—पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ—पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ—पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/शपथ—पत्र राशि रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
 (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं आत्मज / पति श्री आयु वर्ष, निवासी सत्यापन करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।

सत्यापन आज दिनांक वर्ष को स्थान में किया गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप-7

बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(All SC/ST Candidates are required to submit their Caste Certificate in the prescribed format only)

This is to certify that Shri/Shrimathi*/Kumari* _____

Son/daughter* of _____

of village/town* _____

in District/Division* _____ of the State/Union

Territory* _____ belongs to the _____ Caste/ Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste Scheduled Tribe*

Under:

The Constitution (Scheduled Castes)Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

(As amended by the Scheduled Castes and Schedules Tribes Lists (Modification Order)1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Schedules Tribes Orders(Amendment) Act, 1976.)

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;

*The Constitution(Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders(Amendment)Act, 1976;

*The constitution(Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;

*The Constitution (Uttar Pradesh, Scheduled Tribes Order, 1967;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968;]

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. *The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991. *The Constitution(Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act,1991.

**This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes

Certificate issued to Shri/Shrimathi* _____

father/mother*of Shri/Shrimathi/Kumari* _____ of

village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory*

who belong to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* _____ issued by the

dated _____.

Shri/Shrimathi*/Kumari* _____ and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* of the State/Union Territory* of _____.

Signature _____

Designation_____

(With seal of office) State/Union Territory

Place: _____

Date: _____

Note: The term “Ordinarily resides” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

Please delete the words which are not applicable.

** Applicable in the case of SCs, STs Persons who have migrated from one State/UT (Employment News 9/92).xi

प्रारूप-8

बाह्य राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR ADMISSION)

This is to certify that Shri/Smt./Kum. _____ Son
/ Daughter of Shri / Smt. _____ of Village/Town _____

District / Division _____ in the _____ State
belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class
under:

1. Resolution No. 12011/68/93- BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.186 dated 13/09/93.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
4. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
5. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
6. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
8. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
9. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
10. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
11. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 21/09/2000.
12. Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
13. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
14. Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
15. Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum. _____ and/or his family ordinarily reside(s) in the

_____ District / Division of _____ State. This is also to certify that he / she does not

belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate / Competent Authority Seal

NOTE:

- (a) The term “Ordinarily” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:
 1. District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
 3. Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.
- (c) The annual income /status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2014

प्रारूप-9

बी.पी.एड. / एम.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

चिकित्सा प्रमाणपत्र

(मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

For Admission in B.P.Ed./M.P.Ed.Course

MEDICAL CERTIFICATE

(To be certified by a Registered Medical Officer)

1. Name:- _____ Sex:- _____ (M/F) Blood Gr. _____
2. Height (in cm):- _____ Weight(in kg):- _____
3. Physical appearance and Musculature:- Robust/Average/Weak
4. Previous History of Fracture or other injuries (Give Details):-

5. C.N.S.: - _____
6. C.V.S.: - _____
1. Respiratory System: - _____
2. Liver: - _____
3. Spleen: - _____
4. Hernia Site: - _____
5. Throat: - _____
6. Ears (Perforation/Discharge/Any other) : - _____

7. Hearing: - _____
8. Eyes: - _____ Vision(Without Glass): - _____
Color Blind (Partial/Complete): - _____
9. Any Body deformity (Such as Kyphosis, Lordosis, Scoliosis, Knock Knee, Bow Legs Flat Feet etc): - _____
10. History of Epilepsy, Asthma, T.B., V.D., Allergy, etc.: - _____

11. Sensibility to drugs ,if any : - _____

I certify that I have this day carefully examined (Name) _____

And have recorded my observation as given above. I am satisfied that he /she is fit/unfit for undergoing training in Physical Education which involves strenuous physical activities and competitive games. I further certify that the candidate has been inoculated/vaccinated for:

- (a) Tetanus: _____ (b) Typhoid : _____
(c) Chickenpox : _____ (d) Hepatitis-b: _____
(e) Any Other: _____

Signature of the Candidate

Date: _____

Signature: _____

Name: _____

Reg. No. _____

Address: _____

Seal:

(प्रवेश निर्देश 2017 की कंडिका 2.4 अनुसार)

1. मैं (आवेदक का नाम) -----पिता/पति का नाम -----
-----पंजीयन क्रमांक -----वचन देता हूँ/देती हूँ कि (अर्हकारी परीक्षा का नाम) -----के आधार पर मैं (सम्मिलित परीक्षा का नाम) -----की प्रवेश परीक्षा 2017 में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ।
2. मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि मेरी अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर मुझे प्रवेश निर्देश अनुसार सम्बंधित हेल्प सेंटर पर निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर अपने प्राप्तांक MPOnline के पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।
3. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि पूर्ववर्ती किसी भी सेमेस्टर में एटीकेटी नहीं है तथा आवेदित पाठ्यक्रम हेतु एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश हेतु पात्र रहूँगा/रहूँगी।
4. मैं इस तथ्य से भी अवगत हूँ कि अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने या अर्हकारी परीक्षा में वांछित प्रतिशत प्राप्त नहीं होने या अर्हकारी परीक्षा में अनुतीर्ण होने से यदि मैं ऑनलाइन काउन्सिलिंग में निर्धारित तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन कराते हुए पंजीयन नहीं कर पाता हूँ तो मेरे प्रवेश पर विचार नहीं किया जावेगा तथा यह स्थिति मुझे मान्य होगी। मैं प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।
5. प्रवेश निर्देश 2017 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों को मैंने भलीभांति पढ़ लिया है तथा मैं इससे पूर्णतः सहमत होते हुए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ एवं ये मुझ पर बंधनकारी होंगे।
6. मुझे यह भी जात है कि मेरे द्वारा असत्य/भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम -----

पता -----

मोबाइल नंबर ----- दिनांक -----

फिजिकल फिटनेस टेस्ट/स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने हेतु आवेदक
द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा पत्र

मैं ----- (आवेदक का नाम) -----

----- (पिता/पति का नाम) -----

(आई डी क्रमांक) यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं बी.पी.एड./ एम.पी.एड.* हेतु फिजिकल फिटनेस टेस्ट/स्पोर्ट्स प्रोफिशियेंसी टेस्ट देने हेतु पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ एवं मैं अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर इस टेस्ट में

(टेस्ट सेंटर का नाम) स्थान -----

दिनांक ----- पर सम्मिलित हो रहा/रही हूँ। टेस्ट के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

इसके साथ ही नियमानुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम -----

पता -----

मोबाइल नंबर -----

दिनांक :

* जो लागू ना हो उसे काट दें।

प्रारूप – 12

प्रावधिक स्थानांतरण प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमतीआत्मज/आत्मजा
श्री.....एवं श्रीमतीइस महाविद्यालय का/की
नियमित छात्र/छात्रा है तथा सत्र से आज दिनांक तक स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में
अध्ययनरत् है। वह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में जो कि 30 जून, 2017 तक समाप्त हो रही है, में
सम्मिलित हो रहा है/रही है/सम्मिलित होगा/होगी। महाविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उनकी
जन्मतिथिहै।

नियमतः मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र उनके वर्तमान पाठ्यक्रम की परीक्षा हो जाने के पश्चात् जारी
किया जायेगा।

छात्र का चरित्र और चाल—चलन अच्छा है। यदि छात्र अपनी पात्रता के अनुसार और अपनी रूचि
की संस्था में किसी उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है/लेती है तो इस संस्था को कोई आपत्ति नहीं
होगी।

दिनांक :

कार्यालय सहायक द्वारा अभिलेखों
के आधार पर सत्यापित

अभिलेख का सत्यापन

प्राचार्य
(शासकीय / अशा. महाविद्यालय)

आवेदक का वचनपत्र

मै यह वचन देता हूँ कि यह प्रावधिक स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मेरे
आवेदन पर महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। निर्धारित तिथि तक मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं
करने/ATKT के कारण पाठ्यक्रम निरंतर रहने एवं आवेदित पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त होने पर संपूर्ण दायित्व
स्वयं का होगा। मुझे यह भी ज्ञात है कि प्रवेश निरस्त होने पर जमा शुल्क वापस नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम.....
आवेदित पाठ्यक्रम का नाम
पंजीयन क्रमांक.....

प्रारूप—13
(देखें नियम 2.9 एवं 2.10)

प्रश्न—पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न—पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :—

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक / उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....

स्थान
दिनांक

(दैखें नियम 2.9 एवं 2.10)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :—

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....
दिनांक

i & i15

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ

चिपकाये

4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction) हस्ताक्षर / Signature)

- अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- Do your full signature within box-2, signature in capital letter or more than 1 should be invalid

निर्देश / Instruction) फोटो / Photo)

- फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो लिखवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be older than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

) ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3-के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in

your running hand writing in box-3, the declaration given above(

बी0ए0बी0एड0 / बी0एससी0बी0एड0 / बी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2017 हेतु पाठ्यक्रम

बी0ए0बी0एड0 / बी0एससी0बी0एड0 / बी0एल0एड0 चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	सामान्य चेतना (General Awareness)	40	40 अंक
2.	सामान्य मानसिक योग्यता एवं शैक्षणिक अभिरुचि (General Mental Ability &Teaching Aptitude)	30	30 अंक
3.	भाषा दक्षता (Language Proficiency) (हिन्दी + अंग्रेजी)	30 (15 + 15)	30 अंक
कुल		100	100 अंक

बी0ए0बी0एड0 / बी0एससी0बी0एड0 / बी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा - 2017 हेतु पाठ्यक्रम

Syllabus of B.A.B.Ed. / B.Sc.B.Ed./ B.El.Ed. Entrance Examination - 2017

कुल अधिकतम अंक : 100

Total Max. Marks : 100

Part-1

सामान्य चेतना (General Awareness)

(40 अंक)

The focus will be limited to India and with special reference to Madhya Pradesh, except in the area of General Science.

1.	Indian History	Indian Cultural Development, History of Indian Independence (1857 to 1947), Development after 1947.
2.	Indian Constitution	Citizenship, Fundamental Rights and Duties, National Symbol, Indian Parliament, Executive and Judiciary.
3.	Economics and Geography	Main features of Indian economy, Natural Resources and Wealth, Environment and Ecology, Geographical features of Madhya Pradesh.
4.	General Science	Important Inventions and Inventors, Health and Hygiene, General Scientific Phenomenon.
5.	Current Affairs and Sports.	

सामान्य विज्ञान खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों का स्तर मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ एवं भारत तक सीमित होगा।

1.	भारतीय इतिहास	भारतीय सांस्कृतिक विकास, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद के घटनाक्रम।
2.	भारतीय संविधान	नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय संसद कार्यपालिका, न्यायपालिका।

3	अर्थशास्त्र एवं भूगोल	भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ, प्राकृतिक संसाधन एवं संपदा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मध्यप्रदेश की भौगोलिक विशेषताएँ।
4	सामान्य विज्ञान	मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, सामान्य वैज्ञानिक घटनाएँ।
5	समसामयिक घटनाक्रम एवं खेल-कूद।	

भाग—2

सामान्य मानसिक योग्यता एवं शैक्षणिक अभिरुचि

(General Mental Ability &Teaching Aptitude)

(30 अंक)

सामान्य मानसिक योग्यता : आंकिक योग्यता, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, अंक एवं आकृति, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, तार्किक वैन चित्र, तार्किक निगमन।

शैक्षणिक अभिरुचि : 1— शिक्षा की संकल्पना, 2— शिक्षक की भूमिका, 3— अच्छे शिक्षक के गुण, 4— शिक्षकीयवृत्ति में रुचि।

General Mental Ability : Numerical ability, Odd one out, Number series, Letter series, Relationship through letters Numbers and Figures, Code language, Numbers and Figures, Mathematical operations, Matching figures, Logical Venn diagrams, Logical deductions.

Teaching Aptitude : 1- Concept of Education, 2- Role of a Teacher, 3- Qualities of a good Teacher, 4- Interest in Teaching Profession.

भाग-3 / Part-3

भाषा दक्षता (Language Proficiency)

(कुल अंक 30)

सामान्य हिन्दी (15 अंक)

अ. व्याकरण

1. वर्णमाला – स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार,
2. संज्ञापद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया
3. समास – रचना एवं प्रकार,
4. संधि – नियम एवं प्रकार
5. कथन (वाक्य रचना) के प्रकार – विनम्रता सूचक, विधि-निषेध, काल-बोध, स्थान एवं दिशा बोध
6. व्याकरणिक अशुद्धियाँ

ब. शब्द बोध

1. शब्द रचना – उपसर्ग, प्रत्यय,
2. शब्द प्रकार – तत्सम, तद्भव, देशज,
3. शब्दार्थ – पर्यायवाची, विलोमार्थी,
4. अशुद्धि संशोधन – उच्चारणगत्, वर्तनीगत्, शब्द व शब्दार्थगत्,
5. हिन्दी के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द

स. मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं प्रयोग

द. वाक्य रचनागत अशुद्धियों की पहचान

General English (15 अंक)

1- Noun

2- Verbs

3- Articles

4- Tenses

5- Prepositions

6- Synonyms and Antonyms

7- Prefixes and Suffixes

बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड./बी.एल.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु सहायता केन्द्रों (हेल्प सेंटर) की सूची

List of Help Centres			
S.No.	District	HC NAME	City
1	Alirajpur	Govt College	Alirajpur
2	Anuppur	Govt Tulsi Degree College	Anuppur
3	Ashok Nagar	Govt Nehru Degree College	Ashoknagar
4	Badwani	Govt P G College	Badwani
5	Badwani	Govt College	Sendhwa
6	Balaghat	Govt Jatashankar Trivedi College	Balaghat
7	Betul	Govt Jaywanti Haksar P G College	Betul
8	Bhind	Govt Girls College	Bhind
9	Bhind	Govt M J S P G College	Bhind
10	Bhopal	Govt Adarsh Motilal Vigyan Mahavidyalaya	Bhopal
11	Bhopal	Govt Benazir College	Bhopal
12	Bhopal	Govt Gitanjali Girls P G College	Bhopal
13	Bhopal	Govt Hamidiya Arts and Commerce College	Bhopal
14	Bhopal	Govt M.L.B. Girls College	Bhopal
15	Bhopal	Govt P G College, BHEL	Bhopal
16	Bhopal	Govt Sarojini Naidu Girls P G College	Bhopal
17	Burhanpur	Govt Jawaharlal Nehru College	Nepanagar
18	Chhatarpur	Govt Girls College	Chhatarpur
19	Chhatarpur	Govt Maharaja College	Chhatarpur
20	Chhindwara	Govt P G College	Chhindwara
21	Damoh	Govt P G College	Damoh
22	Datia	Govt Girls College	Datia
23	Datia	Govt P G College	Datia

24	Dewas	Govt Krishnajirao Pawar P G College	Dewas
25	Dhar	Govt P G College	Dhar
26	Dindori	Govt Chandravijay College	Dindori
27	Guna	Govt P G College	Guna
28	Gwalior	Govt Adarsh Science College	Gwalior
29	Gwalior	Govt Bhagawat Sahay College	Gwalior
30	Gwalior	Govt Kamlaraje Girls P G College	Gwalior
31	Gwalior	Govt M L B Arts and Commerce College	Gwalior
32	Gwalior	Govt Virangna Jhalkari Bai Girls College	Gwalior
33	Harda	Govt Arts and Commerce College	Harda
34	Hoshangabad	Govt Home Science Girls P G College	Hoshangabad
35	Hoshangabad	Govt Narmada College	Hoshangabad
36	Indore	Govt Girls P G College, Moti Tabela	Indore
37	Indore	Govt Holkar Science College	Indore
38	Indore	Govt Nutan Girls P G Colege, Kilabhawan	Indore
39	Indore	Shri Atal Bihari Vajpai Govt Arts and Commerce College	Indore
40	Jabalpur	Govt M H Home Science Girls P G College	Jabalpur
41	Jabalpur	Govt M K B Arts and Commerce College	Jabalpur
42	Jabalpur	Govt Mahakaushal Arts and Commerce College	Jabalpur
43	Jabalpur	Govt Science College	Jabalpur
44	Jhabua	Govt Shahid Chandshekhar P G College	Jhabua
45	Katni	Govt Tilak College	Katni
46	Khandwa	Govt Shri Nilkantheshwar P G College	Khandwa
47	Khargone	Govt P G College	Khargone
48	Mandla	Govt Rani Durgawati College	Mandla
49	Mandsaur	Govt P G College	Mandsaur
50	Morena	Govt PG College Morena	Morena

51	Morena	Govt Girls College	Morena
52	Narsinghpur	Govt P G College	Narsinghpur
53	Neemuch	Swami Vivekanand Govt P G College	Neemuch
54	Panna	Govt Chhatrasal P G College	Panna
55	Raisen	Govt Swami Vivekanand College	Raisen
56	Rajgarh	Govt College	Rajgarh
57	Ratlam	Govt Arts and Science P G College	Ratlam
58	Rewa	Govt Girls P G College	Rewa
59	Rewa	Govt Law College	Rewa
60	Rewa	Govt Thakur Ranmat Singh College	Rewa
61	Sagar	Govt Arts and Commerce College	Sagar
62	Sagar	Govt Girls P G College	Sagar
63	Satna	Govt Girls College	Satna
64	Satna	Govt P G College	Satna
65	Sehore	Chandra Shekhar Azad Govt P G College	Sehore
66	Seoni	Govt P G College	Seoni
67	Shahdol	Govt P G College	Shahdol
68	Shajapur	Govt Balkrishna Sharma Navin P G College	Shajapur
69	Sheopur	Govt College	Sheopur
70	Shivpuri	Govt P G College	Shivpuri
71	Sidhi	Govt Sanjay Gandhi Smrati College	Sidhi
72	Sidhi	Govt Girls College Sidhi	Sidhi
73	Singroli	Govt College	Waidhan
74	Tikamgarh	Govt P G College	Tikamgarh
75	Ujjain	Govt Kalidas Girls College	Ujjain
76	Umariya	Govt College	Umariya
77	Vidisha	Govt Girls College	Vidisha

बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड./बी.एल.एड. चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा–2017**आरक्षण तालिका**

महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा (एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता/संबद्धता – 2017 प्राप्त महाविद्यालयों की सूची प्राप्त होने पर सीट संख्या में परिवर्तन संभव है) –

पाठ्यक्रम का नाम	बी.ए.बी.एड.	बी.एससी.बी.एड.	बी.एल.एड.
अनुमानित कुल सीट संख्या	650	850	50
बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु 25%	163	213	13
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु.जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 15%	24	32	02
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु.जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 7.5%	12	16	01
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 27%	44	58	04
बाह्य राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	83	107	06
म.प्र. राज्य के आवेदकों हेतु 75%	487	637	37
म.प्र. राज्य के आवेदकों में से अनु.जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 16%	78	102	06
म.प्र. राज्य के आवेदकों में से अनु.जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 20%	97	127	07
म.प्र. राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 14%	68	89	05
म.प्र. राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	244	319	19

मानक 100 सीटों के आधार पर आरक्षण निम्नानुसार होगा –

म.प्र. राज्य के आवेदकों के लिए 75 सीट				बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए 25 सीट				कुल सीट
सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
38	10	12	15	12	07	04	02	100

- महिलाओं के लिए 30% एवं म.प्र. राज्य के आवेदकों हेतु विभिन्न संवर्ग जैसे – निःशक्तजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सैनिक हेतु पृथक–पृथक 3% तथा विधवा अथवा परित्यक्ता के लिए 1% क्षैतिजीय आरक्षण नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।
- अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।